

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ।

पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./26/2016-17/ 3684 दिनांक: 22.07.2016
विषय:-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग— इनबॉर्न एर ऑफ मेटाबालिज्म प्रोजेक्ट के वर्ष 2016-17 के संचालन हेतु किट्स के लिए धनराशि के संबंध में।

महोदय,

अवगत करना है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत Newborn screening for inborn error of metabolism प्रोजेक्ट, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किट्स हेतु आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड ए.5.1.5 पर रु0 15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

उक्त कार्य हेतु यह धनराशि जिला स्वास्थ्य सोसाइटी लखनऊ के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है। उक्त गतिविधि हेतु उपरोक्त धनराशि रु0 15.00 लाख निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के निम्न दर्शाये गये खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

Account name of holder : Director, SGPGIMS, Lucknow

Account Number : 10095237355

IFSC Code : SBI NO007789

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./2012-13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/ 5067-2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रोजेक्ट का नियमित अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Agreement
(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन: एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./26/2016-17/ तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ।
- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उक्त प्रोजेक्ट में सहयोग प्रदान करने हेतु।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 को इस आशय से कि वे उक्त प्रोजेक्ट के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

5. डा. शुभा फड्के, (एम.डी. डी.एम.) विभागाध्यक्ष, मेडिकल जेनिटिक्स एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ को इस आशाय से प्रेषित कि उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ के खाते में अवमुक्त कर दी गई है अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से समन्वय स्थापित कर धनराशि प्राप्त करने का कष्ट करें। उक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./2012-13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/5067-2 दिनांक 04.02.2015 (सलग्न) के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. वित्त नियंत्रक, एन.एच.एम. एस.पी.एम.यू. लखनऊ।
7. भण्डलीय/ जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक जनपद लखनऊ।

(डॉ० स्वप्ना दास)
महाप्रबंधक आर.बी.एस.के.